[illegible]

दिनांक 29/11/19 को पत्र सं [illegible]

29.11.19

चपरासी तेजा। पार्टी एवं वकील पार्टी अनुपस्थित। फोन-फोन कर तीन बार आवाज लिगाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी एवं वकील पार्टी अपने दावे को लेकर गंभीर नहीं है अतः दावा अंडर हाथिरी आदेश XVII नियम 3 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है चपरासी रोजनामचा होकर नस्ति से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना।